



सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना।

विषय:- अनुकम्पा के आधार पर नियोजन करने के संबंध में।

प्रसंग:- शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना ज्ञापांक:-1128, दिनांक:-21.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री बिल्टू कुमार, पिता-स्व० भानु प्रसाद, विद्यालय परिचारी, सर०जी०डी०, पाटलीपुत्रा, कदमकुआं में कार्यरत थे। इनके पिता की मृत्यु दिनांक:-28.01.2010 को हो गई थी। इनके मृत्यु के पश्चात श्री बिल्टू कुमार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) के माध्यम से विद्यालय परिचारी के पद पर आवेदन प्राप्त हुआ है, चूंकि शिक्षा विभाग का नियमावली-2020 के अधिसूचना ज्ञापांक-1128, दिनांक:-21.08.2020 द्वारा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम अहर्ता मैट्रिक होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में श्री बिल्टू कुमार का अनुकम्पा के आधार पर नियोजन करने के क्रम में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि श्री बिल्टू कुमार, पिता-स्व० भानु प्रसाद, को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि श्री कुमार को अनुकम्पा के आधार पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकें।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

14/9/2022

14/09/22

विश्वासभाजन
नगर सचिव-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

प्रतिलिपि:- नगर अयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

14/9/2022

14/09/22

नगर सचिव-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी
पटना नगर निगम।